

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-15/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० प्रीति बरखा, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, अररिया को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01 12 2015 के आलोक में दिनांक-01 08 2025 से 27 01 2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रिणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक :-17/विविध- 01-15/2026 - 626(17) पटना, दिनांक :-01/06/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव० ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव० आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, अररिया/प्रभारी अधीक्षक, सदर अस्पताल, अररिया को सूचनार्थ एव० आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० प्रीति बरखा, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।